

अध्याय 3: कर देयता की पूर्ति करने से संबंधित मुद्दे

3.1 वित्त अधिनियम, 1994 अपेक्षा करता है कि जब एक व्यक्ति या व्यापार भारत के अलावा किसी अन्य देश से धारा 65 के उपबन्ध (105) में विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराता है, तो प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराई गई सेवा पर एसटी का भुगतान करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण शर्त है कि प्राप्तकर्ता भारत में करयोग्य सेवा प्राप्त करे।

3.2 लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमने कई उदाहरणों देखे जहाँ निर्धारिती ने लेखापरीक्षा के समय तक अपनी एसटी देयता पूरी नहीं की थीं। जबकि कुछ उदाहरणों में हमने देखा कि निर्धारिती ने स्वयं को सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत नहीं कराया था जैसी कि सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई एवं भारत में प्राप्त) नियमावली, 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत अपेक्षा की गई थी, अन्यो में या तो कर/ब्याज/दोनों का भुगतान नहीं किया गया था। हमने यह भी देखा कि वहाँ अन्य स्त्रोतो जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों से सूचना संग्रह करने की संभावना थी, जिसका विभाग उपयोग नहीं कर सका। हमने एसटी (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत करयोग्य सेवाओं के मूल्य के गलत निर्धारण के उदाहरण भी देखे। हमने कुछ मुद्दों पर भी प्रकाश डाला जहाँ हमें अधिसूचनाएँ जारी करते समय विभाग की तरफ से एक स्थिर आधार की आवश्यकता महसूस हुई।

पंजीकरण की आवश्यकता

सेवा प्राप्तकर्ताओं के गैर पंजीकृत आयात का सुव्यवस्थित रूप से पता लगाने के लिए क्षेत्रीय ढाँचे में किसी तंत्र के अभाव में कुछ निर्धारितियों द्वारा सेवाओं का कराधान (भारत से बाहर से उपलब्ध कराई गई एवं भारत से प्राप्त) नियमावली, 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत अभी भी पंजीकरण (एसीईएस में उपलब्ध डाटा के अनुसार) कराना शेष था।

3.3 सेवाओं का कराधान (भारत से बाहर से उपलब्ध कराई गई एवं भारत से प्राप्त) नियमावली, 2006 का नियम 4 अपेक्षा करता है कि भारत से बाहर से उपलब्ध कराई गई एवं भारत में प्राप्त की गई कर योग्य सेवाओं का प्राप्तकर्ता पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यद्यपि एसीईएस डाटा से, जैसा कि डीजी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराया गया, हमने देखा कि लेखापरीक्षा में जाँच किए गए नमूनों में से 132 निर्धारितियों द्वारा अभी तक नियम 4 के अधीन पंजीकरण कराना शेष था, यद्यपि वे वित्त अधिनियम की धारा 66ए के अन्तर्गत एसटी के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। इसके अतिरिक्त वहाँ क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकरण संबंधी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने की भी कोई प्रणाली नहीं थी। ऐसी एक प्रणाली का अस्तित्व कर योग्य सेवाओं के संबंध में भेजी गई रकम के बाहर की तरफ बहाव से संबंधित सूचना की उपलब्धता पर निर्भर होगा। यद्यपि मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2013) कि इस विषय पर व्यापार को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर आयुक्तालयों में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं एवं वैबसाइट का अद्यतन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने देखा कि जुलाई 2012 को, सेवाओं के आयात के गैर पंजीकृत सेवा प्राप्तकर्ता का सुव्यवस्थित रूप से पता लगाने के लिए क्षेत्रीय ढाँचों में कोई तंत्र नहीं था। हालाँकि डीजी (लेखापरीक्षा) ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2013) कहा कि उनके कार्यालय ने नवम्बर 2011 तक 101 अधिकृत डीलरों में से 60 से भेजी गई रकम पर डाटा प्राप्त किया था (प्रयत्नों में सचिव

(राजस्व) से सचिव (बैंकिंग) को 2012 में लिखा गया एक अर्धसरकारी पत्र सम्मिलित है,) यद्यपि ऐसा अकेला प्रयास बहुत सकारात्मक है परन्तु यह एक प्रणाली के अस्तित्व को पूरा नहीं करता। क्योंकि अभी तक 41 प्राधिकृत डीलरों जिनमें बड़े डीलर भी शामिल हैं, ने जवाब नहीं दिया था जो सूचना के प्रवाह के लिए अनिवार्य प्रणाली (जैसा वार्षिक सूचना रिटर्न द्वारा) की शुरूआत की आवश्यकता को दर्शाता है।

एसीईएस ऐसे मामलों को चिन्हित नहीं करता जहाँ एसीईएस रिटर्न में डाटा ने डाटाबेस में एसटी प्रेषक की श्रेणी के अद्यतन की आवश्यकता को उजागर किया।

3.4 भरे गए रिटर्न से हमने यह भी देखा कि कुछ निर्धारितियों ने सेवाओं के आयात से संबंधित एसटी प्रेषित किया था जबकि उनका सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में सामर्थ्य में पंजीकरण नहीं था। एसीईएस ऐसे मामलों को चिन्हित नहीं करता अथवा डाटाबेस के स्व अद्यतन के लिए प्रावधान नहीं करता। डीजी (प्रणाली) ने पुष्टि की कि एसीईएस प्रणाली ऐसे मामलों में अपवाद रिपोर्ट के सर्जन के लिए प्रावधान नहीं करती। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान महानिदेशक (प्रणाली) ने कहा कि निर्धारितियों को एसटी-1 पंजीकरण प्रपत्र में किसी आशोधन की पहल करनी होगी। उन्होंने जोड़ा कि जबकि एसीईएस रिटर्न में प्रविष्टियों पर आधारित आटो-पोपुलेटिंग पंजीकरण प्रपत्र के लिए सुझाओं को अपनाना संभव ना हो, सही तरीका यही होगा कि निर्धारितियों के लिए रिटर्न भरने से पहले इसे एक अनिवार्य प्रक्रिया बनाकर उसके पंजीकरण प्रपत्रों में डाटा के संशोधन को अनिवार्य बना दिया जाए। मंत्रालय प्रणाली में इसे समन्वित करने के लिए इस की जाँच कर सकता है।

अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा भेजे हुए धन से संबंधित डाटा के विश्लेषण की आवश्यकता

3.5 लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नमूनों में, हमने विभाग के पास या तो सेवाप्रदाता अथवा विनिर्माताओं के रूप में पंजीकृत इकाईयों को कवर किया था। यद्यपि आरबीआई/प्राधिकृत डीलरों से प्राप्त डाटा से, हमने देखा कि वहाँ कई ऐसे उदाहरण हो सकते थे जहाँ पक्षकार के विदेश से सेवाओं के प्राप्तकर्ता होने के कारण भुगतान योग्य कर प्रेषित नहीं किया था। 50 से ज्यादा अधिकृत डीलरों से वर्ष 2007-11 के लिए डाटा ने 20,000 से ज्यादा सेवा प्राप्तकर्ताओं की तरफ संकेत किया जिन्होंने चिन्हित 37 उद्देश्य संहिताओं के अन्तर्गत धन भेजा था परन्तु उनके पास एसीईएस के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं था। चयनित आयुक्तालयों ने अधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध डाटा का विश्लेषण/संग्रह नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अन्वेषण के महानिदेशक सहित विभागीय अधिकारियों के लिए सेवाओं के आयात के संबंध में कर के अपवंचन पर नियंत्रण करने के लिए सूचना का एक स्रोत हो सकता है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को डीजीसीआई को डाटा के अग्रेषण के बारे में सूचित किया। मंत्रालय ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान भी सूचित किया कि महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने इसी प्रकार के लगभग 450 अपंजीकृत सेवा प्राप्तकर्ता देखे थे। बहुत मामलों में, प्रेषकों ने गलत उद्देश्य संहिता दर्शाई थी, अथवा प्रेषण माल की खरीद के लिए था अथवा अधिकृत डीलरों ने गलत तरीके से डाटा प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विभाग अधिकृत डीलरों द्वारा डाटा प्राप्ति की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आवश्यकता की माँग के लिए आरबीआई पर जोर दे। लेखापरीक्षा यह भी सिफारिश करती है कि

विभाग अधिकृत डीलरों से डाटा के संग्रह, इसके विश्लेषण एवं तत्पश्चात अनुवर्तन के संबंध में डीजीएसटी, डीजी (लेखापरीक्षा) एवं डीजीसीईआई विभिन्न कार्यालयों के बीच जैसे उत्तरदायित्व को बाँटने पर विचार कर सकता है। उदाहरण के लिए गैर-पंजीकृत सेवा प्राप्तकर्ताओं से संबंधित अनुवर्तन को महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का उत्तरदायित्व नहीं कहा जा सकता।

पंजीकृत विनिर्माताओं द्वारा देयताओं की गैर पूर्ति

कुछ विनिर्माता जो सेवाओं के आयात श्रेणी के तहत कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, एसटी का भुगतान करने में विफल थे।

3.6 चयनित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों (विभाग के पास पंजीकृत विनिर्माता) के अभिलेखों की जाँच के दौरान, हमने ब्याज एवं जुर्माना रहित ₹ 2.52 करोड़ की एसटी वाले 19 मामलों में एसटी की नहीं/कम उगाही पाई। हमने कुछ मामलों को नीचे दर्शाया है।

बाक्स 3.1: विनिर्माताओं द्वारा एसटी देयताओं की पूर्ति ना करने के निदर्शी मामले

क. बँगलूरु एसटी आयुक्तालय में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास एल्युमिनियम निष्कासन, पार्श्वचित्र एवं एक्सेसरीज जैसे उत्पाद शुल्क योग्य माल के डीलर के रूप में पंजीकृत मैसर्ज हाइड्रो बिल्डिंग सिस्टम प्रा. लि. ने ना तो प्राप्तकर्ता अथवा न ही सेवाओं के प्रदाता के रूप में पंजीकरण कराया था। निर्धारिती ने स्वीजरलैंड में मुख्यालय वाली अपनी मुख्य कम्पनी मैसर्ज हाइड्रो एल्युमिनियम एसए के साथ सूचना तकनीकी साफ्टवेयर सेवाओं, तकनीकी सहायता, प्रबंधन सेवाओं इत्यादि के लिए एक अनुबंध किया था एवं उपरोक्त सेवाओं के लिए 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 3.51 करोड़ का भुगतान किया। हमने देखा कि निर्धारिती ने ₹ 36.23 लाख की (ब्याज-रहित) लागू एसटी का भुगतान नहीं किया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष के आधार पर आयुक्तालय द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर 2012 को कारण बताओ ज्ञापन के जारी किये जाने की सूचना दी (मार्च 2013)।

ख. जयपुर। आयुक्तालय में मैसर्ज आशीमोरी इण्डिया प्रा. लि. ने ₹ 91.15 लाख के देय एसटी के प्रति तकनीकी जाँच, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण सेवाओं पर ₹ 76.79 लाख की एसटी का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज समेत ₹ 19.82 लाख के एसटी का कम भुगतान हुआ। मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2013) कि इसके इंगित किये जाने पर निर्धारिती ने ब्याज समेत ₹ 19.82 लाख की राशि जमा करवा दी थी।

निर्यात उन्मुख इकाइयों की एसटी देयता

विभाग के पास विकास आयुक्तों के पास उपलब्ध ईओयूज द्वारा सेवाओं के आयात से संबंधित सूचना का उपयोग करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

3.7 सेवाओं का आयात करने वाली निर्यात उन्मुख इकाइयों के संबंध में एसटी देयता से कोई छूट नहीं है। विदेशी व्यापार नीति के अन्तर्गत, प्रत्येक ईओयू को संबंधित विकास आयुक्त के कार्यालय में एक वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन अन्य बातों के साथ साथ ईओयूज से सेवाओं के आयात पर (रायल्टी, तकनीकी, कमीशन इत्यादि) विदेशी विनियम प्रवाह के विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित करता है। बँगलूरु में केवल ईओयूज के साथ डील करने वाले मण्डल इस प्रश्न पर कि क्या इसके पास ईओयूज द्वारा विकास आयुक्त के

कार्यालय के पास उपलब्ध वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत सूचना को सेवाओं के आयात के संबंध में ईओयू की देयता का निर्धारण करने के लिए एक सहायता के रूप में प्रयोग करने के लिए एक प्रणाली है, उत्तर प्रतिक्षित है।

निम्नलिखित मामले में लेखापरीक्षा में पाया कि ईओयू ने एसटी देयता को पूरा नहीं किया था।

बॉक्स 3.2: ईओयू द्वारा देयता पूरी न करने का निदर्शी मामला

बैंगलोर एसटी कमिश्नरी में एक 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई मै. कात्रा फाईटोकैम (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड ने व्यापार में सुधार से संबंधित सेवाओं के लिए स्विटजरलैण्ड में पंजीकृत एक कम्पनी मैबरीना जीएमबीएच के साथ करार किया था और 2009-10 से 11-12 के बीच ₹ 2.22 करोड़ दिए। अपनी सेवाएं निर्यात करने वाला मैबरीना, स्विटजरलैण्ड का करदाता निवासी, इस करार के अन्तर्गत स्विस् वैट के अधीन नहीं था। हमने देखा कि कम्पनी के पास प्राप्तिकर्ता या सेवाप्रदाता के रूप में एसटी पंजीकरण नहीं था। निर्माता कम्पनी ने ब्याज के अलावा ₹ 22.85 लाख के देय एसटी का भुगतान नहीं किया था और विभाग द्वारा उक्त को संवीक्षा या लेखापरीक्षा प्रक्रिया से माध्यम से इंगित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने ₹ 34.57 लाख (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी (मार्च 2013)।

3.8 लेखापरीक्षा ने सिफारिश की थी कि विभाग एसटी देयता के निर्धारण के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध निर्यात उन्मुख इकाईयों से संबंधित टैपिंग डाटा पर प्रमुखता से विचार करे। मंत्रालय ने कहा (मार्च 2013) कि इसकी जांच की जाएगी।

3.9 सेवा प्रदाता/प्राप्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा संवीक्षा में हमने ₹ 194.11 करोड़ (ब्याज के अलावा) के 236 मामलों में कर का उदग्रहण न होना/कम होना पाया।

करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन

3.10 वित्त अधिनियम की धारा 67(1) अभिकल्पित करती है कि अपने मूल्य के संदर्भ में किसी करयोग्य सेवा पर प्रभार्य एसटी, दी गई ऐसी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने कुछ मामलों में अननुपालन देखा हमने ऐसे एक उदाहरण पर चर्चा नीचे की है।

बॉक्स 3.3: करयोग्य सेवाओं के गलत मूल्यांकन का निदर्शी मामला

भुवनेश्वर I आयुक्तालय में मै. धर्मा पोर्ट कम्पनी लि. द्वारा विदेशी सेवा प्रदाता द्वारा दी गई ड्रैजिंग सेवाओं के प्रति दी गई राशि में 2011-12 के दौरान बंकरिंग प्रभार के लिए ₹ 24.85 करोड़ शामिल थे जिन पर ₹ 2.56 करोड़ की लागू एसटी नहीं दी गई थी। कम्पनी द्वारा चेलचार्ट (यूके) लि. के साथ किया गया ठेका एक विशिष्ट ट्रेडिंग संक्शन होपर ड्रेजर (टीएसएचडी) का उपयोग करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में ड्रेजिंग कार्य करने के लिए दिया गया था। ठेका में कहा गया था कि मालिक ईंधन की आपूर्ति अपने खर्च पर करेगा। भाड़े पर लेने वाला ईंधन मूल्य समायोजन के लिए ईंधन की आपूर्ति के लिए यूएसडी 18000 यथानुपात प्रतिदिन पर नियत की गई राशि देगा। करयोग्य सेवाओं का मूल्य ली गई सकल राशि होगा, लेखापरीक्षा ने ड्रेजिंग ठेका में शामिल बंकरिंग के लिए भुगतान पर एसटी देयता को इंगित किया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

3.11 हमने देखा कि रॉयल्टी के रूप में सहयोगी कम्पनियों को भेजा गया धन यद्यपि सामान्य था, कई मामलों में एसटी देयता पूरी नहीं हुई या आंशिक रूप से पूरी हुई थी जिससे प्रतिफल के भाग को सम्मिलित नहीं किया गया। वित्त अधिनियम की धारा 67 की व्याख्या स्पष्ट करती है कि सहयोगी एंटरप्राइजेज सहित लेन-देन के संबंध में ली गई सकल राशि किसी खाते में क्रेडिट की गई या डेबिट की गई राशि शामिल होगी, जैसा मामला हो, चाहे उसे "उचंत खाता" अथवा किसी, अन्य नाम से एसटी के भुगतान के लिए उत्तरदायी एक व्यक्ति के खाता बही में हो। एसटी नियमों के नियम 6(1) की व्याख्या आगे स्पष्ट करती है कि ऐसे मामले में करयोग्य सेवा के मूल्य के प्रति प्राप्त किए गए किसी भुगतान में अन्य खाते जैसा मामला हो, में क्रेडिट की गई या डेबिट की गई कोई राशि शामिल है चाहे उसे "उचंत खाता" कहे या किसी अन्य नाम से, एसटी के भुगतान के लिए उत्तरदायी एक व्यक्ति के खाता बही में हो। यहां तक कि कर निर्धारण के बिन्दु में यह परंतुक शामिल है कि जहां सेवा प्रदाता व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, सहयोगी एंटरप्राइजेज के संबंध में कर निर्धारण का बिन्दु सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लेखा बही में डेबिट की तिथि या भुगतान की तिथि होना चाहिए, या जो पहले हो।

3.12 हमने अननुपालन के कुछ उदाहरण देखे। हमने ऐसे दो मामलों पर नीचे चर्चा की है। दूसरे निदर्शन के संबंध में हमने देखा कि यद्यपि कोई वास्तविक भुगतान नहीं हुआ था, सेवा प्राप्तकर्ता की लेखा बही ने प्रावधान निर्माण के माध्यम से डेबिट की गई राशि दर्शाई।

बॉक्स 3.4: निदर्शी मामलों जहां रॉयल्टी भुगतान के संबंध में सहयोगी एंटरप्राइजेज द्वारा एसटी देयता पूरी नहीं की गई थी।

क. मुम्बई एसटी - II आयुक्तालय में मै. ओटिस ऐलिवेटर्स (इण्डिया) ने 2008-09 और 2009-10 के दौरान विदेशी मुद्रा में मै. ओटिस ऐलिवेटर्स कम्पनी, न्यूजर्सी को ₹ 19.76 करोड़ की रॉयल्टी दी। निर्धारित ₹ 2.09 करोड़ के एसटी का देनदार था। मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2013) कि चूंकि निर्धारित ने कर देयता का भुगतान कर दिया है। हम उक्त के ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ख. मुम्बई I आयुक्तालय में मै. हिन्दुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड ने 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान रॉयल्टी भुगतान के प्रति ₹ 514.63 करोड़ विदेश में स्थित धारक कम्पनी यूनिलिवर पीएलसी और अन्य संबंधित सहयोगियों को प्रेषित किए लेन-देन सहयोगी एंटरप्राइजेज के बीच होने के कारण एसटी 3 रिटर्न में दर्शाए गए एसटी भुगतानों के करयोग्य मूल्यों में एसटी भुगतान के देनदार व्यक्ति की लेखा बही में शामिल राशि भी सम्मिलित होगी। एसटी रिटर्न के साथ रॉयटी भुगतानों के मिलान से पता चला कि निर्धारित ने ₹ 282.23 करोड़ पर एसटी नहीं दी थी। जिसके परिणामस्वरूप एसटी का कम भुगतान ₹ 30.41 करोड़ था। अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय ने सूचना दी (मार्च 2013) कि निर्धारित ने तिमाही आधार पर रॉयल्टी की गणना की और तदनुसार विदेशी इकाई के लिए क्रेडिट नोट जारी किया। इसके अतिरिक्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के लिए, वे एक प्रावधान बनाते हैं क्योंकि वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। निर्धारित ने रॉयल्टी के वास्तविकरण पर उक्त के लिए कर देयता का भुगतान किया। मंत्रालय ने कहा कि यह स्वीकार्य प्रतीत होता था। तथापि, यह अधिसूचना सं. 19/2008 दिनांक 10 मई 2008 में प्रस्तुत एसटी नियमावली के नियम 6(1) की व्याख्या के विरुद्ध जाता है।

करयोग्य मूल्य के निर्धारण पर कर कटौती को शामिल न करना

निर्धारिती ने आयकर कानून के अन्तर्गत खोतों पर कर कटौती को छोड़ने के द्वारा सेवा कर उद्देश्यों के लिए करयोग्य सेवाओं के मूल्य का गलत निर्धारण किया था।

3.13 धारा 66 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त की गई कर योग्य सेवाओं का मूल्य अन्य बातों के साथ-साथ दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त किए गए वास्तविक प्रतिफल के समान है। इसका अर्थ है कि निर्धारिती को आयकर कानून के अन्तर्गत कटौती की गई राशि पर विचार करना होगा क्योंकि एसटी गणना के लिए सेवा के करयोग्य मूल्य प्राप्त करते समय कर कटौती धारा 195 के तहत की गई थी।

बॉक्स 3.5: निदर्शी मामला जहाँ निर्धारिती ने करयोग्य मूल्य की संगणना में टीडीएस को छोड़ दिया।

क. कोच्ची आयुक्तालय में मै. कोचीन शिपयार्ड लि. ने विभिन्न विदेशी सेवा दाताओं को 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 179.23 करोड़ दिए; इसने उसके लिए एसटी भी दिया। तथापि, इकाई ने करयोग्य सेवा के मूल्य की गणना करते समय आयकर कटौती को छोड़ दिया, जिसके कारण ₹ 2.43 करोड़ की कम एसटी का भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने सूचना दी (मार्च 2013) कि आयुक्तालय ने निर्धारिती को कारण बताओं नोटिस दिनांक 19 अक्टूबर 2012 जारी कर दिया था।

प्रभारों की प्रतिपूर्ति

3.14 वित्त अधिनियम की धारा 67 में ऐसे मामलों में जहां प्रतिफल का मूल्य निश्चय नहीं है में करयोग्य सेवाओं के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के लिए एसटी (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के अनुपालन का प्रावधान है। एसटी (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 का नियम 5 विचार करता है कि करयोग्य सेवाएं उपलब्ध कराते समय सेवादाता द्वारा प्राप्त लागत को दी गई करयोग्य सेवा के लिए प्रतिफल के रूप में समझना चाहिए और इसे करयोग्य सेवा के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन यह सेवाओं के आयात के संबंध में अनुप्रयोज्य नहीं था क्योंकि नियम में (जुलाई 2012 से पहले) प्रावधान था कि धारा 66ए के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त की गई करयोग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होना चाहिए जो कि दी गई सेवाओं के लिए लिए गए वास्तविक प्रतिफल के बराबर हो।

3.15 ऐसे मामलों में जहां सहयोगी एन्टरप्राइज ने अन्य पार्टी के लिए लागत उपलब्ध कराई, लेखापरीक्षा ने देखा सामान्यतः यहां देश से बाहर स्थित अन्य पार्टी द्वारा सेवा के प्रावधान को दर्शाते विशिष्ट ठेके या बीजक नहीं थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने माना कि क्षेत्रीय कार्यालयों और लेखापरीक्षा पार्टियों के निरन्तर को लाभान्वित करने के लिए जैसा संबंधित पार्टी डिस्कलोजर में दर्शाए गए भारतीय पार्टी द्वारा परियोजना व्यय की प्राप्ति जैसे आकस्मिक व्ययों को कवर करने वाले स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है- चाहे ऐसे व्यय की प्राप्ति अन्य पार्टी द्वारा सेवा के प्रावधान को प्रमाणित करने वाली समझी जाए और चाहे ऐसे मामलों में इसे सकल राशि प्रभार से संबंधित धारा 67 की व्याख्या के अन्तर्गत कवर समझा जाए।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय ने अभिस्वीकृति दी कि यह गहन अन्वेषण के लिए आधार हो सकता है। हमने लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए दो मामलों पर चर्चा नीचे की है।

क. बेंगलूर एसटी आयुक्तालय में मै. एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन्स लिमिटेड (यूएसए, यूके और सिंगापुर में सहायक) ने व्यापार प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और सूचना तकनीकी सेवाओं का उत्तरदायित्व लिया। विदेशी मुद्रा में व्यय में 2008 और 2010 के बीच ₹ 58.83 करोड़ का परियोजना कार्य व्यय शामिल था जिस पर, यदि लागू हो, ₹ 6.06 करोड़ की एसटी देयता होगी। विदेशी सहायक ने तीसरी पार्टी या ग्राहक के साथ ठेका किया था। निर्धारिती सॉफ्टवेयर के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था और सहायक स्वतंत्र तीसरी पार्टियों के साथ ठेका को अन्तिम रूप देने में सलंगन प्रमुख सत्व था। विदेशी सहायक ने निर्धारिती के लिए सारे मार्किटिंग कार्य निष्पादित किए हैं। विदेश में विकसित किए गए सॉफ्टवेयर की सभी तकनीकी कोडिंग और दस्तावेजीकरण के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी एक्सचेंजिंग सोल्यूशन्स लिमिटेड पर थी और विदेशी सहायक तीसरी पार्टियों ऑनसाइट को सेवाओं की समय पर आपूर्ति के लिए जिम्मेदार थे। समय - समय पर विदेशी सहायक ने ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल के अनुसार ऑनसाइट राजस्व (तीसरी पार्टी के ग्राहकों से प्राप्त) और एक्सचेंजिंग इण्डिया से ऑनसाइट लागत दोनों को क्रॉस-चार्ज किया। निर्धारिती ने निश्चयपूर्वक कहा कि इसने केवल सहायकों को सेवाओं का निर्यात किया और यहां सेवाओं का आयात नहीं किया गया था। विदेशी सहायक ने धारक कम्पनी को कोई बीजक जारी नहीं किया था, जबकि निर्धारिती ने सहायक का बीजक जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वयं को स्वीकार्यनुसार निर्धारिती ही वह पार्टी था जो समग्र परियोजना प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। निर्धारिती ने परियोजना व्यय को विदेशी प्रेषण में प्राप्त किया था जैसाकि संबंधित पार्टी के डिस्कलोजर में दर्शाया गया है। केवल भारतीय धारक कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं और भारतीय निर्धारिती से ऑनसाइट लागत का क्रॉस चार्ज के बीजक द्वारा निर्धारिती वित्त अधिनियम की धारा 66(ए) के अन्तर्गत एसटी देयता की आवश्यकताओं से बाहर निकल सकता था। सीईआरए ने 2 जुलाई 2012 को विभाग को लेखापरीक्षा की आपत्ति जारी की। विभाग ने आपत्ति (दिसम्बर 2012) को स्वीकार करते समय सूचना दी कि 2007 -12 के दौरान की अवधि के लिए ₹ 23.59 करोड़ के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया था और मामले की जाँच अपवंचन निरोधक विंग द्वारा की गई थी।

मंत्रालय ने बाद में सूचना दी (मार्च 2013) कि विभाग ने पहले से ही मामले को नोटिस कर लिया था और यह कि अन्वेषण में आयुक्तालय की अपवंचन निरोधक विंग ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल- आईटी सेवाएं और अन्य सेवाओं पर एसटी के कम भुगतान को पाया। लेखापरीक्षा ने देखा कि अपवंचन निरोधक विंग ने तथ्यों की जांच के लिए 17 अगस्त 2012 को निर्धारिती के परिसर का दौरा किया था और 19 अक्टूबर 2012 को ₹ 23.59 करोड़ के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सहभागी एन्टरप्राइजेज के मध्य लेन-देन के संबंध में, जिनमें से एक करयोग्य क्षेत्र से बाहर था, वहां हमेशा एक सम्भावना थी कि सेवाएं जो करयोग्य क्षेत्र से बाहर एक पार्टी द्वारा दूसरी को प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई गई थी, प्रमाण (बीजक आदि की अनुपस्थिति) की कमी से ग्रसित हो सकती थी। अतः विभिन्न क्षेत्रीय ढांचों एवं लेखापरीक्षा पार्टियों के बीच व्याख्या की निरंतरता को बढ़ाने के लिए सीबीईसी के लिए निर्देश/स्पष्टीकरण जारी करना वांछित है

कि आकस्मिकताएं जैसे भारतीय पार्टी द्वारा उठाए गए परियोजना व्यय जैसाकि संबंधित पार्टी उदघोषणाओं में दर्शाया गया है को दूसरी पार्टी द्वारा सेवाओं के प्रामाणिक प्रावधान के रूप में लिया जाए। सीबीईसी स्पष्टीकरण पर विचार कर सकता है कि क्या "सकल प्रभारित राशि पर धारा 67 में व्याख्या ऐसे व्यय को कवर करती है। इसे स्वीकार करते समय कि यह विस्तृत अन्वेषण के लिए आधार हो सकता था, मंत्रालय ने कहा कि नए कानून एवं प्रावधानों की स्थिति सेवा नियमावली, 2012 के मद्देनजर स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षा ने दोहराया है कि धारा 65 (44) के अन्तर्गत सेवा की प्रतिफल समेत एक गतिविधि के रूप में नई परिभाषा दिए जाने एवं प्रावधानों की स्थिति नियमावली 2012 के बाद भी वहां समान परिस्थितियों के अलग-अलग उपचारों की सम्भावना है क्योंकि सेवा के अस्तित्व को निर्धारित करने के आधारभूत मुद्दे का समाधान, सेवा नियम के प्रावधान की स्थिति पर विचार करने से पहले किया जाना था।

ख. मुम्बई I आयुक्तालय में मै. जेट एयरवेज (इण्डिया) लि. ने अपने संबंधित सहायकों को स्टाफ लागत, संचार लागत, किराए और अन्य प्रशासनिक लागतों की प्रतिपूर्ति की। दिनांक 13 जून, 2005 को मै. जेट एयरवेज (इण्डिया) लि. और मै. जेट एयरवेज इण्डिया आईएनसी यूएसए में के मध्य करार में प्रावधान था कि मै. जेट एयरवेज ऑफ इण्डिया न्यूजर्सी शाखा कार्यालय में मै. जेट एयरवेज (इण्डिया) लि. का प्रचालन करने के उद्देश्य के लिए अपने दायित्व पर कार्मिक भर्ती करेगा। निर्धारित ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 154.09 करोड़ व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति दिए, जिनमें से ₹ 57.09 करोड़ से संबंधित विवरण अभी प्रस्तुत किए जाने है, यदि लागू हो, तो इसकी एसटी देयता ₹ 5.88 करोड़ होगी।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2013) कि मै. जेट एयरवेज (इण्डिया) लि. के हवाई प्रचालन से संबंधित भारत से बाहर विभिन्न स्थलों पर हुए प्रशासनिक व्यय जैसे कि कार्यालय भाड़ा, क्रेटरिंग, कार्यालय उपस्कर की मरम्मत, कार्गो प्रभार, कार्यालय का बीमा आदि उनकी तरफ से उनके संबंधित सहयोगी द्वारा किए गए हैं और उनकी प्रतिपूर्ति संबंधित सहायक द्वारा दिए गए डेबिट नोट की रसीदों के वास्तविक आधार पर की गई है। चूंकि धारा 66ए(2) के अन्तर्गत, विदेशी स्थानों को अलग प्रतिष्ठान के रूप में समझा जाता है तो एसटी देयता उत्पन्न नहीं होती।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूंकि भारत से बाहर अलग प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सेवाएं व्यापार समर्थन सेवा/ व्यापार सहायक सेवा की प्रवृत्ति में होंगी अर्थात् भारतीय कम्पनी सेवाओं के कराधान (भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त की गई) नियमावली, 2006 के नियम 3(iii) के अन्तर्गत कवर होंगी। भारत के बाहर एन्टरप्राइजेज द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ भारत में स्थित सहयोगी एन्टरप्राइजेज से अर्जित किया है, इसलिए, सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में परवर्ती विपरित प्रभार तंत्र के अन्तर्गत देनदार था।

केन्द्रीय मंत्रालयों और आरबीआई में उपलब्ध डाटा का उपयोग

विभाग में कुछ अन्य मंत्रालयों और आरबीआई के पास उपलब्ध सूचना का समय-समय पर निर्धारण करने के लिए प्रणाली नहीं थी।

3.16 लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ प्रकारों के लेन-देन जैसाकि विदेशी सैटेलाईट में ट्रासपोन्डर स्पेस किराए पर लेना, लीज भाड़े एयरक्राफ्ट लीज पर लेने का भुगतान के लिए और परामर्शदाता

सेवाओं के लिए भुगतान किया गया धन प्रेषण निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/आरबीआई का पूर्व अनुमोदन/सूचना आवश्यक है। विभाग वार्षिक सूचना रिटर्न या अन्य समान तंत्र के माध्यम से ऐसी सूचना का लाभ उठाने की सम्भावना पर विचार कर सकता है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित उदाहरणों में एसटी देयता के पूरा न होने को देखा जिनमें से दो को आंतरिक लेखापरीक्षा ने पहले ही इंगित किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए की इस प्रवृत्ति का कोई उच्च मूल्य लेन-देन विभाग द्वारा कवर होने से ना रह जाए, विशिष्ट प्रवृत्ति के ऐसे उच्च मूल्य लेन-देनों पर संबंधित निगरानी मंत्रालय/आरबीआई इत्यादि डाटा की प्राप्ति एवं उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि (मार्च 2013) इसकी व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।

बॉक्स 3.6: लेनदेन के निदर्शी मामले जहाँ केन्द्रीय मंत्रालयों/आरबीआई की पूर्व स्वीकृति/सूचना आवश्यक थी।

क. मुंबई एसटी-I आयुक्तालय में मैसर्स ज़ूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए ट्रांसपॉंडर प्रभार और वेबसाइट प्रभार के प्रति विदेशी मुद्रा में ₹ 5.21 करोड़ का भुगतान किया जिस पर वह ब्याज सहित ₹ 85.65 लाख के एसटी के भुगतान का उत्तरदायी था। विदेश में प्रेषण को शामिल करके टेलीविज़न चैनलों या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा इस प्रकार किराये पर लेना भारत से प्रेषण पर आरबीआई के मुख्य परिपत्र के अनुसार संबंधित⁷ मंत्रालयों की स्वीकृति से होना आवश्यक है। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने मुद्दा अगस्त 2011 में उठाया।

ख. बेंगलुरु एसटी आयुक्तालय में, मैसर्स डेकैन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने, विदेशी सेवा प्रदाता को वायुयान के लिए पट्टे के किराये के रूप में ₹ 25.17 करोड़ की राशि का भुगतान किया जो बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के श्रेणी में आती हैं लेकिन ₹ 2.59 करोड़ के एसटी का भुगतान नहीं किया। वायुयान किराये पर लेने वाले सभी व्यक्ति नागर विमानन महानिदेशालय की स्वीकृति पाने के लिए बाध्य हैं। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि विभाग ने मुद्दा पहले उठाया था; वह 2010-11 की अवधि के लिए समय-समय पर नोटिस भेज रहे थे।

ग. हैदराबाद आयुक्तालय में, मैसर्स सुवेन लाइफ साइंसेज़ ने, कानूनी परामर्श सेवाओं के अंतर्गत कानूनी और अटॉर्नी प्रभार के प्रति पेटेंट दाखिल करने और अन्य संबंधित कार्य के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं को ₹ 11.29 करोड़ की राशि का भुगतान किया, जिस पर ₹ 1.16 करोड़ के एसटी का भुगतान नहीं किया गया। आरबीआई के प्रयोज्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन), अधिनियम, 2000 के अनुसार, भारत के बाहर से अवसंरचना परियोजना के संबंध में किसी भी परामर्शी सेवाओं के लिए यूएस \$ 10,000,000 प्रति परियोजना और अन्य परामर्शी सेवाएँ लेने के लिए, यूएस \$ 1,000,000 प्रति परियोजना से अधिक प्रेषण के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2013) कि निर्धारिती ने ब्याज सहित ₹ 1.42 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

⁷ सूचना व प्रसारण मंत्रालय और संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

प्राधिकृत डीलरों को आरबीआई से निर्देशों का अभाव

3.17 लेखापरीक्षा ने देखा कि जब आरबीआई ने प्राधिकृत डीलरों को प्रेषण की अनुमति से पूर्व आर और डी उपकर अधिनियम से संबंधित प्रावधानों और आय कर से संबंधित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिये थे, आरबीआई से विदेशी प्रेषणों की अनुमति के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में एसटी देयता की पूर्ति की निगरानी के संबंध में प्राधिकृत डीलरों के ऐसे कोई निर्देश नहीं थे। विभाग को अभी कार्रवाई शुरू करनी थी और इस संबंध में आरबीआई से संयोजन करना था।

बाक्स 3.7: निदर्शी मामले जहाँ निर्देशों के अभाव के कारण एसटी देयता की पूर्ति के बिना प्रेषण हुआ

रॉची आयुक्तालय में, मैसर्स चाइना फस्ट मेटालर्जिकल कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, मैसर्स चाइना फस्ट मेटालर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, चाइना के गणतंत्र को इलैक्ट्रो स्टील इंटीग्रेटेड लिमिटेड की परियोजना की इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो डिज़ाइन सेवा की श्रेणी में आता है ₹ 44.44 करोड़ की राशि का भुगतान किया। तथापि, निर्धारित ने, प्राधिकृत डीलर पर किसी भी तरह की आवश्यकता के अभाव में ₹ 4.58 करोड़ के प्रयोज्य एसटी का प्रेषण नहीं किया। सीईआरए ने इस मुद्दे को अप्रैल 2012 में बताया। मंत्रालय ने सूचित किया कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने मुद्दा अगस्त 2012 में उठाया था और ₹ 5.63 करोड़ के एसटी की मांग का कारण बताओ ज्ञापन जारी किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2013) कि विभाग मामले की जाँच करेगा और विचार करेगा कि प्रेषक द्वारा एसटी देयता की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत डीलरों को परामर्श देने के लिए आरबीआई से सम्पर्क किया जाए।

उपलब्ध सूचना का उपयोग करने के लिए एलटीयू आयुक्तालय में प्रणाली का अभाव

3.18 बृहद करदाता इकाई (एलटीयू) व्यवस्था की शुरुआत उन करदाताओं को जो सीमा-रेखा से अधिक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर और एक ही पैन रखते हैं केन्द्रीकृत लेनेदेन सुविधा उपलब्ध कराने के इरादे से की गई थी। इसमें पैन धारक की विभिन्न इकाईयों/परिसर में सर्वत्र माल का शुल्क मुक्त परिचालन, ऐसे एक परिसर से दूसरे में ऋण राशि का अंतरण, विवाद निपटान और प्रतिदाय दावों का समयबद्ध निपटान और सभी इकाईयों के लिए प्रक्रियाओं का एक सेट जैसे कुछ लाभ के प्रावधान भी उल्लिखित होते हैं। तथापि, करदाताओं के लिए बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित करते हुए लेखापरीक्षा में देखा कि विभाग कानून के अंतर्गत कर देयता की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध सूचना का भी उपयोग कर सकता है। क्योंकि आयकर प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकता का विदेशी प्रेषण करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में प्रपत्र 15 सीए और 15 सीबी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, यह प्रपत्र आयुक्तालय के पास उपलब्ध होंगे और एसटी देयता की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एलटीयू आयुक्तालय में एसटी प्रतिरूप द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं। तथापि लेखापरीक्षा के सामने एलटीयू निर्धारित के संबंध में एसटी देयता की गैर-पूर्ति के निम्नलिखित मामले आये जिसके उत्तर देते हुए मंत्रालय ने सूचित किया कि मुबई एलटीयू आयुक्तालय ने कहा कि निर्धारित द्वारा एसटी उत्तरदायित्व का उचित उन्मोचन सुनिश्चित करने के

लिए आगे से प्रपत्र 15 सीए और 15 सीबी आयकर प्राधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी एलटीयू आयुक्तालय आयकर प्राधिकारी के साथ उपलब्ध सूचना का उपयोग करने वाली ऐसी प्रणाली स्थापित कर लें।

बाक्स 3.8: एलटीयू इकाई द्वारा गैर-अनुपालन का उदाहरण

मुम्बई एलटीयू आयुक्तालय में मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड ने मैसर्स हालडोर टोपसो, डेनमार्क, से अपने अमोनिया प्लांट के सुधार के लिए डिज़ाइन इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएँ प्राप्त की। एसटी देयता का उन्मोचन करते हुए, निर्धारिति ने सेवाओं की कीमत (टीडीएस तत्व) ₹ 1.45 करोड़ तक घटा दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.99 लाख के एसटी का कम भुगतान हुआ। निर्धारिति ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर भुगतान की कमी को पूरा किया।

छूट का गलत प्रयोग

3.19 तकनीक के आयात के प्रति किये गये सभी भुगतानों पर 5 प्रतिशत से कम की दर पर एक उपकर की उगाही हेतु निर्धारित तकनीक के आयात के लिए किये गये सभी भुगतानों पर एक उपकर और सग्रहण प्रदान करने के उद्देश्य से, अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 उपलब्ध है। उक्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उगाहीयोग्य एसटी से बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सेवा के संबंध में कर योग्य सेवा, जो कि तकनीक के आयात के प्रति दिये गये उपकर की राशि के बराबर हो, को दिनांक 10-9-2004 की अधिसूचना 17/2004 एसटी में छूट दी, उपकर का बौद्धिक संपदा सेवा के संबंध में अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम 1986 (1986 का 32) के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान किया जाता है।

3.20 हमने देखा कि विभिन्न आयुक्तालयों में आठ निर्धारितियों⁸ ने उद्धृत अधिसूचना में उल्लिखित धारा 66 के प्रति धारा 66ए के अंतर्गत एसटी उत्तरदायित्व के संबंध में इस छूट का लाभ उठाया। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित इकाईयों के संबंध में कुल कर योग्य मूल्य ₹ 84.18 करोड़ निकाला गया। आयुक्तालयों (एलटीयू चेन्नै, एसटी चेन्नै, पुदुच्चेरी और मदुरै) ने यह कहकर निष्कर्षों का विरोध किया कि धारा 66 ए स्वतंत्र मूल्य लगाने वाली धारा नहीं है। सेवाओं के आयात के लिए भी धारा 66 मूल्य लगाने वाली धारा बनी रहीं। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा कि हालांकि विभाग ने दिनांक 16 जुलाई 2009, के परिपत्र संख्या 354/148/2009-टीआरयू के माध्यम से दूसरे विषय (सेनवेट संबंधित) में पहले यह कदम उठाया था, इसने बाद में, 2011 में " वित्तीय अधिनियम की धारा 66ए के अंतर्गत उगाही योग्य एसटी " का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए, सेनवेट ऋण नियमावली, 2004 की नियम 3(1) संशोधित की। इसने दिनांक 01 जुलाई 2009 की 18/2009-एसटी और दिनांक 01 मार्च 2011, की 17/2011-एसटी अधिसूचनाओं जैसी अन्य अधिसूचनाएँ भी जारी की,

⁸ चेन्नै एलटीयू में, मैसर्स हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, चेन्नै एसटी में, बॉगवार्नर कूलिंग सिस्टमस लिमिटेड, पुदुच्चेरी में मैसर्स नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मदुरै में मैसर्स फ़ैन्नर कनवेयर बोल्टिंग लिमिटेड, एलटीयू बेंगलुरु में मैसर्स एबीबी लिमिटेड और चेन्नै एसटी आयुक्तालय में, मैसर्स एचएसआई ऑटोमोटिक्स लिमिटेड, मैसर्स मोबिस इंडिया लिमिटेड, और मैसर्स पीएचए इंडिया लिमिटेड,

जो दोनो धारा 66 और धारा 66ए से संबंधित हैं क्योंकि इनके अन्तर्गत एसटी उगाही योग्य था। अर्थ है कि धारा 66ए विशिष्ट मूल्य लगाने वाली धारा है। यहाँ तक कि संयुक्त सचिव (टीआरयू) का सदस्यों (सीबीईसी) और सभी आयुक्तों को संबोधित दिनांक 19 अप्रैल 2006 का पत्र भी वही स्थिति दर्शाता है।

3.21 तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि मूल्य लगाने वाली धारा (1 जुलाई 2012 से पूर्व की अवधि से संबंधित) के संबंध में विभागीय निर्णय में असंगति थी तथापि हो सकता है कि एकमात्र मूल्य लगाने वाली धारा के रूप में वित्तीय अधिनियम में धारा 66बी (1 जुलाई 2012 से) के अधिनियमन से ध्यान रखा गया हो। दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना 14/2012 एसटी उक्त अधिनियम की धारा 66बी को संदर्भित करती है। तथापि, पूर्व अवधि के संबंध में, पूर्व अधिसूचनाएँ अभी भी प्रभावी होंगी। हालांकि मंत्रालय ने संबंधित आयुक्तालयों से उत्तर अग्रेषित किया था, बताई गई असंगति पर मंत्रालय के विचार लेखापरीक्षा को अभी तक प्राप्त होने बाकी है। यदि धारा 66ए के अंतर्गत एसटी उगाही योग्य नहीं है, तो विभाग को दिनांक 01 जुलाई 2009 की 18/2009-एसटी और दिनांक 01 मार्च 2011 की 17/2011-एसटी अधिसूचनाओं में संशोधन पर विचार करना चाहिए।

3.22 हमने यह भी देखा कि हालांकि दिनांक 10.9.2004 की अधिसूचना संख्या 17/2004 के अनुसार, बौद्धिक संपदा अधिकार धारक द्वारा प्रदत्त कर योग्य सेवा को, दिये गये आर और डी उपकर की राशि के बराबर एसटी के भुगतान से छूट प्राप्त है, मैसर्स एबीबी ने आर और डी उपकर के वास्तविक भुगतान से पूर्व छूट का लाभ उठाया। आयुक्तालय ने सूचना दी कि निर्धारिती ने आर और डी उपकर के भुगतान से पूर्व आईपीआर सेवाओं पर एसटी का भुगतान किया था क्योंकि उसने एसटी के भुगतान के लिए देय तिथि को ध्यान में रखा था। अतः निर्धारिती ने एसटी के आर और डी उपकर के भुगतान के बीच अनुरूप अवधि के लिए आर और डी उपकर राशि पर ब्याज का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में देखा कि कथित अधिसूचना इस प्रकार के मनचाहे अर्थ के लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं करती।

एसटी देयता पूरी न करने के अन्य उदाहरण

3.23 ऊपर उल्लिखित मुद्दों के अलावा, सेवा प्राप्तकर्ताओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के समय देखे गए एसटी देयता पूरी न होने के कुछ अन्य उदाहरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गये हैं। अभिलेखों की संवीक्षा देश के बाहर से प्राप्त परामर्शी इंजीनियरिंग सेवा, वास्तुकार सेवाएँ, कानूनी परामर्शी सेवाएँ, प्रबंधन, रखरखाव या सुधार सेवा और व्यापार सहायता सेवाएँ जैसी सेवाओं पर एसटी देयता के पूरा न होने को दर्शाती है।

तालिका 3.1 : लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये एसटी देयता के उदाहरण

₹ करोड़ में

क्रं सं.	निर्धारिती का नाम	आयुक्तालय का नाम	लेखापरीक्षा में बताई गई एसटी की राशि	भुगतान की गई राशि
1.	वेदांता अल्यूमीनियम लिमिटेड	भुवनेश्वर II	1.74	0.40
2	बीजीआर ऐनर्जी सिस्टमस	चेन्नै एसटी	0.95	-
3	साउथ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	चेन्नै एसटी	2.22	-
4.	हिन्दुस्तान ज़िक लिमिटेड	जयपुर II	2.05	-
5.	इंटेक इंफोनेट प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली एसटी	1.08	1.10
6.	वेरीज़ोन कम्यूनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली एसटी	1.67	1.67
7.	ओटिस ऐलिवेटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	मुंबई II एसटी	1.04	-
8.	सिस्टौमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड	दिल्ली एसटी	5.39	5.98
9.	ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज़ेज लिमिटेड	मुंबई I एसटी	1.85	2.18

3.24 इसके अतिरिक्त, हमने एक उदाहरण देखा जिसमें विभाग ने जारी करने की अवधि तक सभी समान लेनदेन को ध्यान में न रखते हुए कारण बताओं ज्ञापन जारी किया था।

क. विभाग ने तिरुनेलवेली आयुक्तालय में मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) लिमिटेड को नवंबर 2011 में 2007-08 की अवधि के लिए हामीदार सेवा के प्रति दिये गये कमीशन के संबंध में धारा 66ए के अंतर्गत ₹ 18.64 करोड़ के लिए एसटी के गैर-भुगतान के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया। निर्धारिती ने, 2009-10 में हामीदार सेवा के लिए कमीशन के रूप में ₹ 66.51 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान भी किया; तथापि विभाग ने नवंबर 2011 में जारी कारण बताओं नोटिस में ₹ 6.85 करोड़ की एसटी राशि से संबंधित बाद की यह देयता शामिल नहीं की। मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2013) कि निर्धारिती के अभिलेखों को देखा गया कि उसने वर्ष 2009-10 के दौरान हामीदार के कमीशन के प्रति कोई खर्च नहीं किया और मामला जांच के अधीन है।

ब्याज की गैर/कम उगाही

3.25 एसटी नियमावली, 1994 का नियम 6(1) एसटी निर्धारिती से महीने के छठवें दिन तक कलेंडर माह का शीघ्र अनुसरण करके जिसमें भुगतान प्राप्त किये गये थे एसटी देयता का भुगतान करने की अपेक्षा करता है इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 कहती है कि धारा 68 या इस आधार पर बने प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने का उत्तरदायी, प्रत्येक व्यक्ति,

जो निर्धारित अवधि के अंदर केन्द्रीय सरकार के खाते में कर या उसका हिस्सा देने में विफल होता है, निर्धारित दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

हमने पाया कि 16 मामलों में एसटी के विलम्बित भुगतान में ₹ 5.33 करोड़ की ब्याज देयता राशि सम्मिलित थी। ऐसे मामलों से विभाग द्वारा रिटर्न की प्रारम्भिक संविक्षा के लिए 100 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्डों के अननुपालन का पता चलता है। हमने कुछ मामलों को नीचे तालिका बद्ध किया है:-

तालिका 3.2: बताए गए ब्याज देयता के मामले

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम	आयुक्तालय का नाम	ब्याज देयता की राशि	लाख ₹
				निर्धारिती द्वारा दत्त राशि
1.	टाटा मोटर्स लि.	मुम्बई एसटी-II	71.76	71.76
2.	बीएसएफ लि.	मुम्बई एसटी-II	73.26	-
3.	जैसू शिपिंग कम्पनी प्रा. लि.	राजकोट	40.32	-
4.	जेट लाइट (इंडिया) लि.	दिल्ली एसटी	172.85	172.85
5.	पुंज लायड लि.	दिल्ली एसटी	76.32	76.32

सिफारिशें

हमने सिफारिश की कि

क. डीजी (प्रणाली) को सेवा प्राप्तकर्ता को सम्मिलित करने के लिए पंजीकरणकर्ता निर्धारिती की श्रेणी को स्वतः अद्यतन करने के लिए एसीईएस में सुविधा को सम्मिलित करने पर विचार करना चाहिए या भरी गई रिटर्न के डाटा के अनुसार ऐसे मामलों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहाँ डाटाबेस में विप्रेक्षक की श्रेणी को अद्यतन करने की आवश्यकता हो।

डीजी (प्रणाली) का मत था कि एसटी-I पंजीकरण फार्म में किसी संशोधन के बारे में केवल निर्धारिती द्वारा पहल की जानी चाहिए और सबसे अच्छा तरीका रिटर्न भरने से पहले इसे अनिवार्य प्रक्रिया बना कर इसे निर्धारिती के लिए उनके पंजीकरण फार्म में डाटा को संशोधित करना अनिवार्य करना होगा। इसे स्वीकारते हुए लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि मंत्रालय इसे अपनी प्रणाली में समाविष्ट करने के लिए इसकी जाँच कर सकता है।

ख. विभाग को सेवा के आयातकों को पंजीकृत करवाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने चाहिए क्योंकि विपरीत प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा प्राप्तकर्ता पर देयता के संबंध में जागरूकता की कमी पंजीकरण न करवाने का एक कारण हो सकता है।

मंत्रालय ने सेवा के आयात के संबंध में एसटी देयता से संबंधित जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए विज्ञापनों का माध्यम उपयोग करने की सिफारिश को स्वीकार किया।

ग. एसीईएस डाटा के साथ सम्बद्धता द्वारा सेवा के गैर पंजीकृत आयातकों की पहचान द्वारा विभाग को अधिकृत डीलरों से एसटी आधार बढ़ाने के लिए डाटा का उपयोग करना चाहिए।

मंत्रालय ने सिफारिशों को स्वीकारते हुए बताया कि महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा इसी प्रकार के अभ्यास में लगभग 450 गैर पंजीकृत सेवा प्राप्तकर्ताओं का पता चला। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विभाग को प्राधिकृत डीलरों से डाटा के संग्रहण, उसके विश्लेषण और तदन्तर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में विभिन्न कार्यालयों जैसे डीजीएसटी, डीजी (लेखापरीक्षा) और डीजीसीईआई के बीच उत्तरदायित्वों को बांटने के बारे में विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपंजीकृत सेवा प्राप्तकर्ताओं के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई को महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का उत्तरदायित्व नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विभाग प्राधिकृत डीलरों द्वारा प्राप्त डाटा की गुणवत्ता में वृद्धि की आवश्यकता के लिए आरबीआई पर जोर डालने की मांग करे।

घ. विभाग को एसटी देयता के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए विकास आयुक्त कार्यालय के पास उपलब्ध निर्यातोन्मुख इकाइयों से संबंधित डाटा के उपयोग पर विचार करना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया कि वह संभावना की जाँच करेगा।

ड. संबंधित उद्यमों/धारित कम्पनी-सहायक कम्पनी लेन देनों इत्यादि से संबंधित लेन-देन वाली ईकाइयों की संवीक्षा और लेखापरीक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सिफारिश स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया कि इसे अनुसूचित करते समय और लेखापरीक्षा मानदंड निर्धारित करते समय समाविष्ट किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा मानदंड के संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे संशोधन के दौरान, विभाग सिफारिश को ध्यान में रखेगा।

च. विभाग एक स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करें कि क्या विदेश में पंजीकृत एक सम्बद्ध उद्यम की ओर से किया गया व्यय विदेशी कम्पनी से सेवा आयात करने का प्रमाण होगा।

इसे स्वीकार करते हुए कि यह विस्तृत जाँच का कारण हो सकता है, मंत्रालय ने प्रावधानों की स्थिति सेवा नियमावली, 2012 के नए कानून और प्रावधानों के मद्देनजर बताया कि ऐसे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षा दोहराती है कि वित्त अधिनियम की धारा 65(44) के अन्तर्गत हाल ही की सेवा की नई परिभाषा जिसमें प्रावधानों की स्थिति सेवा नियमावली, 2012 के प्रावधानों में इसे प्रतिफल देने वाली क्रिया के रूप में लिया गया है के बावजूद समान परिस्थितियों के अलग व्यवहार की संभावना है क्योंकि प्रावधानों की स्थिति सेवा नियमावली के प्रावधान को लागू करने से पहले "सेवा" के अस्तित्व का पता लगाने और "प्रतिफल" के अस्तित्व के मुद्दे को सुलझाना चाहिए।

छ. विभाग को प्रेषक द्वारा एसटी देयता पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सावधानियों के विषय में अधिकृत डीलरों को उचित निर्देश जारी करने के लिए आरबीआई से सम्पर्क करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने बताया कि विभाग मामले की जाँच करेगा और विचार करेगा कि क्या प्रेषक द्वारा एसटी देयता पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत डीलरों को सलाह जारी करने के लिए आरबीआई से संपर्क किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांक: 29 अप्रैल 2013

सी. नेडुन्नेलियन

(सी. नेडुन्नेलियन)
प्रधान निदेशक (सेवा कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 29 अप्रैल 2013

Pani -

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक